

संयोजक कक्षा (उपखण्ड अधिकारी) राणामा (उपखण्ड अधिकारी) राणामा

श्री ०२०७/५-११ (२०७) २०२३

- प्रतिपि :-
- तहसीलदार, राणामा को भुकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
  - प्रार्थी श्री ..... को संबन्ध।

क्रमांक: स्टिस्ता/५-११(२०७) २०२३

दिनांक :-

संयोजक कक्षा (उपखण्ड अधिकारी) राणामा (उपखण्ड अधिकारी) राणामा



क्र.सं.	मौजा	खता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अर्द्ध प्रविष्टि)	आदेश
१.	भिरियाखेडी	६७,६४	राणालाल पुत्र काना	गौरीशंकर पुत्र काना
				आदेश (अर्द्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)

किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से अर्द्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद तहसील राणामा व जिला विवाहवाह की जमाबन्दी समस्त २०७७ में खता संख्या ६७,६४ में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के अनुसरण में मौजा भिरियाखेडी निरीक्षक वृत्त खद को रिपोर्ट तथा तहसीलदार राणामा की राजस्व अनुशेषा के आधार पर प्रार्थी के "खता डूजरी" प्रार्थना पत्र एवं पत्राची, पत्रार हल्का राणामा, में अभिलेख

प्रार्थी :- ०२०७/५-११/२०२३

:- आदेश :-

प्रशासन गांवों के संग  
अभियान-२०२३

(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट) कैम्प :- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पडोवा

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पटन सहायक कलक्टर राणामा

